



पत्र संख्या- 367/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 19.09.2026

दिनांक-19.09.2026

थाना-तहबरपुर, जनपद-आजमगढ़

सोने की चैन लूटने एवं फायरिंग की घटना में शामिल शातिर गैंग के 01 अन्य सदस्य को किया गया गिरफ्तार, पूर्व में 02 अभियुक्तों से अवैध असलहा व कारतूस किया जा चुका है बरामद

घटना का विवरण/इतिहास-

दिनांक 17.09.2026 को वादी श्री आनन्द सोनी पुत्र शिवकुमार सोनी निवासी ग्राम मंझारी पोस्ट खलिया सेमरी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना तहबरपुर पर लिखित सूचना दी गयी कि वह बाजार मंझारी स्थित अपनी दुकान राज ज्वैलर्स पर मौजूद थे। इसी दौरान चन्द्रेश यादव पुत्र विन्देश यादव निवासी ग्राम जमीनबारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ एवं प्रिंस चौहान पुत्र रघुवीर चौहान निवासी ग्राम कोटवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ दुकान पर सोने की चैन खरीदने के लिए आये। दोनों द्वारा लगभग 08 ग्राम वजन एवं ₹1,10,000/- कीमत की सोने की चैन पसंद की गयी तथा भुगतान हेतु क्यूआर कोड मांगा गया। वादी द्वारा क्यूआर कोड देने के बाद रुपये चेक करने में व्यस्त होने पर दोनों अभियुक्त सोने की चैन लेकर भागने लगे। वादी द्वारा शोर मचाकर पीछा करने पर चन्द्रेश यादव द्वारा जान से मारने की नीयत से अवैध असलहे से वादी पर फायरिंग की गयी, जिसमें वादी बाल-बाल बच गये। शोर सुनकर जनता के लोगों द्वारा ग्राम बैरमपुर में दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया तथा पुलिस को सूचना दी गयी। सूचना पर चौकी प्रभारी मय पुलिस बल मौके पर पहुंचे तथा दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से एक बैग में रखा अवैध असलहा, कारतूस एवं अन्य सामान बरामद हुआ। अभियुक्तों द्वारा दुकान के पास छोड़ी गयी मोटरसाइकिल संख्या UP50BL5646 के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई। उक्त घटना के संबंध में थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0 142/2026 धारा 109(1), 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दोनों अभियुक्तों को दिनांक 17.09.2026 को गिरफ्तार कर जिला कारागार आजमगढ़ भेजा जा चुका है। विवेचना के दौरान मुकदमे में धारा 3(5), 111 बीएनएस तथा 4/25, 3/25/27, 9/25/27 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्तों अनिल यादव उर्फ मेटी, राकेश यादव, अनूप यादव, धर्मेन्द्र यादव उर्फ छोटई, दीपक यादव एवं रजित यादव के नाम प्रकाश में आये, जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 19.09.2026 को उ0नि0 सूर्यपाल मय हमराह का0 सुनील यादव एवं का0 प्रभू मौर्या द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राकेश यादव पुत्र मनीराम यादव निवासी टोडरपुर रासेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ की तलाश में उसके घर पहुंचकर दबिश दी गयी। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। नाम-पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम राकेश यादव पुत्र मनीराम यादव निवासी टोडरपुर रासेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी में उसके कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन, रंग काला, वीवो Y16 कम्पनी बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए नियमानुसार समय 08:11 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राकेश यादव पुत्र मनीराम यादव निवासी टोडरपुर रासेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 142/2026 धारा 109(1), 309(4) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 3(5), 111 बीएनएस तथा 4/25, 3/25/27, 9/25/27 आयुध अधिनियम, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

01. राकेश यादव के विरुद्ध मु0अ0सं0 244/2012 धारा 302, 34, 504, 506 भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस एवं अन्य सामान बरामद किया गया था। आज गिरफ्तार अभियुक्त राकेश यादव के कब्जे से-

01 अदद मोबाइल फोन, रंग काला, वीवो Y16 कम्पनी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सूर्यपाल, चौकी प्रभारी, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
2. का0 सुनील यादव, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
3. का0 प्रभू मौर्या, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक-19.09.2026

थाना-मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़

चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में घूम रहा शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा-कारतूस बरामद

घटना का विवरण/इतिहास-

दिनांक 19.08.2026 को वादी संतोष कुमार यादव पुत्र मनकू यादव निवासी ग्राम जीयनपुर हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 18.08.2026 को प्रातः करीब 10:00 बजे उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल संख्या UP50AQ6805 को क्रॉसवेली आई0टी0आई0 कुकुडीपुर, सठियाव के पास खड़ा किया था और विद्यालय के अन्दर चले गये थे। करीब 14:00 बजे वापस आने पर मोटरसाइकिल मौके से गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद भी मोटरसाइकिल का पता नहीं चला। उक्त सूचना के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 306/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 कुलदीप कुमार, चौकी प्रभारी लोहरा द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 19.09.2026 को उ0नि0 कुलदीप कुमार, चौकी प्रभारी लोहरा मय हमराह पुलिस बल द्वारा अपराध नियंत्रण एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग हेतु रात्रि गश्त की जा रही थी। इसी दौरान ग्रीन पैराडाइज होटल के पास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति दामोदरपुर अण्डरपास की तरफ आने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दामोदरपुर अण्डरपास के पास घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की गयी। कुछ समय बाद एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया, जो पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उसे पकड़ लिया गया। भागने के प्रयास में गिरने से अभियुक्त को सामान्य चोटें आयीं। पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी में उसकी पैंट की दाहिनी जेब से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर बरामद हुआ। बरामद मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नम्बर UP50AQ6805 का मिलान करने पर उक्त मोटरसाइकिल थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 306/2026 धारा 303(2) बीएनएस में चोरी गयी मोटरसाइकिल होना पाया गया।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि अपने दिनांक 18.08.2026 को सठियाव विद्यालय के पास से उक्त

मोटरसाइकिल चोरी की थी तथा आज उसे बेचने की फिराक में जा रहा था। अभियुक्त को नियमानुसार समय 01:05 बजे गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरुद्ध अवैध शस्त्र रखने के संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 342/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दुर्गेश पुत्र अभिमन्यु राम उर्फ मन्नू राम, निवासी काशीपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 306/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 342/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

1. 01 अदद देशी तमंचा .315 बोरा
2. 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल संख्या UP50AQ68051

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 कुलदीप कुमार, चौकी प्रभारी लोहरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ मय हमराह पुलिस कर्मचारीगण।

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक-19.09.2026

थाना-बरदह, जनपद-आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के ₹1,42,500/- की सम्पूर्ण धनराशि पीड़ित को वापस करायी गयी, साइबर हेल्प डेस्क की त्वरित कार्यवाही से साइबर अपराधियों की ऑनलाइन खरीदारी भी करायी गयी निरस्त

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.09.2026 को शुभेन्द्र कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी ग्राम दुबरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के मोबाइल नम्बर को हैक कर कॉल फॉरवर्डिंग के माध्यम से उनके क्रेडिट कार्ड से कुल ₹1,42,500/- का साइबर फ्रॉड किया गया था। साइबर अपराधियों द्वारा उक्त धनराशि से *Voltas Company* के सामान का ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था।

घटना की जानकारी होने पर पीड़ित द्वारा तत्काल दिनांक 02.09.2026 को *NCRP पोर्टल* पर शिकायत संख्या 33109260229544 पंजीकृत करायी गयी। साइबर हेल्प डेस्क टीम थाना बरदह द्वारा शिकायत प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित *Voltas Company* को ई-मेल के माध्यम से घटना से अवगत कराया गया तथा साइबर अपराधियों द्वारा की गयी ऑनलाइन खरीदारी के ऑर्डर को तत्काल निरस्त कराया गया। इससे साइबर अपराधियों को फ्रॉड की धनराशि से खरीदा गया सामान प्राप्त करने से रोका जा सका।

धनराशि वापस कराने की कार्यवाही-

साइबर हेल्प डेस्क टीम थाना बरदह द्वारा शिकायत पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित किया गया तथा आवश्यक पत्राचार एवं तकनीकी कार्यवाही के फलस्वरूप पीड़ित के खाते में साइबर फ्रॉड की सम्पूर्ण धनराशि ₹1,42,500/- वापस करायी गयी।

साइबर हेल्प डेस्क टीम की तत्परता से न केवल फ्रॉड की गयी धनराशि को सुरक्षित कराया गया, बल्कि साइबर अपराधियों द्वारा धनराशि से की जा रही ऑनलाइन खरीदारी को भी समय रहते निरस्त कराकर उनके मंसूबों को विफल किया गया।

साइबर फ्रॉड करने का सामान्य तरीका-

साइबर अपराधी मोबाइल/सिम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद आने वाली कॉल/ओटीपी आदि का दुरुपयोग कर बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड अथवा अन्य वित्तीय सेवाओं से अनधिकृत लेनदेन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर, पुलिस अधिकारी, रिश्तेदार या अन्य परिचित बनकर गोपनीय जानकारी प्राप्त कर ठगी करते हैं।

साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय-

1. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट न करें और समय-समय पर इसकी सेटिंग अवश्य जांचें।
2. बैंक, क्रेडिट कार्ड, UPI, ATM या किसी अन्य वित्तीय सेवा का *OTP, PIN, CVV, पासवर्ड* या *UPI PIN* किसी से साझा न करें।
3. किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गये लिंक पर क्लिक न करें और अनजान एप/स्क्रीन-शेयरिंग एप डाउनलोड न करें।
4. कस्टमर केयर नम्बर हमेशा संबंधित कम्पनी/बैंक की *आधिकारिक वेबसाइट* या एप से ही प्राप्त करें।
5. सोशल मीडिया/फोन पर मिलने वाले आकर्षक ऑफर, इनाम, कैशबैक अथवा नौकरी के झांसे में आकर भुगतान न करें।
6. किसी भी अनधिकृत लेनदेन की जानकारी मिलते ही तत्काल अपने बैंक/कार्ड जारीकर्ता को सूचित कर कार्ड/खाता सुरक्षित करायें।
7. साइबर फ्रॉड होने पर *तुरंत 1930* पर कॉल करें तथा *NCRP पोर्टल* पर शिकायत दर्ज करायें। समय पर सूचना देने से धनराशि को होल्ड/वापस कराने की सम्भावना बढ़ जाती है।

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 मनीष सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
3. म0आ0 आरती सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक-19.09.2026

थाना-कन्धरापुर, जनपद-आजमगढ़

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में थाना कन्धरापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में वांछित शांति अभियुक्त सत्यम यादव गिरफ्तार; चोरी व नकबजनी समेत आपराधिक गतिविधियों में था संलिप्त

घटना/अपराध का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त सत्यम यादव अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ चोरी, नकबजनी एवं चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कन्धरापुर पर चोरी, वाहन चोरी एवं आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत हैं। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अभियुक्त व

उनके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए थाना कंधरापुर पर मु0अ0सं0 228/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 19.09.2026 को प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सत्यम यादव को टण्डवा त्रिमुहानी से समय करीब 07:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सत्यम यादव पुत्र त्रिभूवन यादव, निवासी ग्राम टण्डवा, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 228/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 89/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना कन्धरापुर।
2. मु0अ0सं0 154/2025 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना कन्धरापुर।
3. मु0अ0सं0 153/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कन्धरापुर।
4. मु0अ0सं0 228/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कन्धरापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य, थाना कन्धरापुर।
2. रि0का0 हरिशंकर त्रिपाठी, थाना कन्धरापुर।
3. रि0का0 मनीष चौधरी, थाना कन्धरापुर।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-19.09.2026

थाना-सरायमीर, जनपद-आजमगढ़

चेन स्नेचिंग की घटना का सफल अनावरण, ₹60 हजार में बेची गई चैन की रकम में से ₹5,240 बरामद; घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक 09.09.2026 को संजरपुर बाजार में अस्पताल के पास एक महिला के गले से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चैन छीनकर भाग जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 231/2026 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 18.09.2026 को उ0नि0 अनुज कुमार द्विवेदी मय पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर कोलपुर कुशहां नहर पुलिया के आगे लाहीडीह जाने वाले मार्ग से अभियुक्त अनूप यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव उर्फ जितेन्द्र यादव, निवासी कोटवा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ एवं बरामदगी का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने अपने साथी प्रिंस चौहान एवं चन्द्रेश यादव के साथ मिलकर दिनांक 09.09.2026 को संजरपुर बाजार में महिला के गले से चैन छीनी थी। उक्त चैन को एक राहगीर को ₹60,000 में बेच दिया था। प्राप्त धनराशि को तीनों ने आपस में बांट लिया था, जिसमें से अभियुक्त के हिस्से के ₹5,240 बरामद हुए। अभियुक्त द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है। अभियुक्त के साथी प्रिंस चौहान एवं चन्द्रेश यादव को पूर्व में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियुक्त अनूप यादव के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनूप यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव उर्फ जितेन्द्र यादव, निवासी कोटवा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 231/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- ₹5,240 नगद।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 231/2026 धारा 304(2) बीएनएस, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनुज कुमार द्विवेदी, थाना सरायमीर।
2. उ0नि0 हरिकेश शर्मा, थाना सरायमीर।
3. का0 विजय प्रसाद गौड़, थाना सरायमीर।
4. का0 विजय प्रसाद, थाना सरायमीर।
5. रि0का0 अरुण कुमार चौधरी, थाना सरायमीर।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक-18.09.2026

थाना-सरायमीर, जनपद-आजमगढ़

मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.09.2026 को समय करीब 19.00 बजे वादी मुकदमा के भाई मो० तारिक पुत्र अब्दुल कयूम, उम्र करीब 28 वर्ष, छित्तेपुर बाजार से रंगडीह-टेउखर के रास्ते अपने घर वापस आ रहे थे। ग्राम टेउखर राजभर बस्ती के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी/प्रेम-प्रसंग के संदेह में जवाहिर उर्फ विनोद, सचिन, सर्वेश, अप्पु, नितिन राजभर आदि एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नीयत से मारपीट की गयी, जिससे उनके सिर एवं शरीर पर गंभीर चोटें आयीं।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 238/26 धारा 109(1)/115(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 18.09.2026 को उ0नि0 नीरज गौड़ मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस दौरान ग्राम टेउखर स्थित अभियुक्त के घर पहुंचने पर अभियुक्त जवाहिर उर्फ विनोद राजभर पुत्र स्व0 हंसराज राजभर निवासी ग्राम टेउखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष घर पर मौजूद मिला। अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में वांछित बताते हुए समय करीब 22.55 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. जवाहिर उर्फ विनोद राजभर पुत्र स्व0 हंसराज राजभर, निवासी ग्राम टेउखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 238/26 धारा 109(1)/115(2)/3(5) बीएनएस, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 238/26 धारा 109(1)/115(2)/3(5) बीएनएस, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नीरज गौड़, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 प्रशान्त सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
3. हे0का0 विजय प्रकाश, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
4. का0 मुन्दन कुमार, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
5. म0का0 अंजू यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

